गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.11.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.11.2022 को सायं 05:00 बजे **प्रशासनिक भवन** के सभा कक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 एल.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
6.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
7.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
8.	प्रो0 डी.एन. सिंह	सदस्य
9.	प्रो0 टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
10.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
11.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
12.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ0 आर.के. चौबे	सदस्य
15.	डॉ0 एस.के. प्रजापति	सदस्य
16.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
17.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 अध्ययन मण्डल जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक दिनांक 26.09.2022 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अंक योजना अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक दिनांक 26.09.2022 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 02 अध्ययन मण्डल पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 30.09.2022 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 30.09.2022 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

04/11/2022

04/11/22

विषय क्र. 03 **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 31.10.2022 में किये गये अनुशंसा पर कृत कार्यवाही की पुष्टि करने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 31.10.2022 में किये गये अनुशंसा पर कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 04 **Signing of Memorandum of Understanding between Department of Pharmacy, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur and Department of Biotechnology & Bioinformatics, Sambalpur University, Odisha.**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग एवं संबलपुर विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 05 **अध्ययन मण्डल अर्थशास्त्र विभाग की बैठक दिनांक 21.09.2022 की अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल अर्थशास्त्र विभाग की बैठक दिनांक 21.09.2022 की अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 06 **शारीरिक शिक्षा विभाग के बी.पी.एड./एम.पी.एड. एवं योग पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क संरचना पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि शारीरिक शिक्षा विभाग के बी.पी.एड./एम.पी.एड. एवं योग पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क संरचना एवं विश्वविद्यालय के अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित क्रीड़ा शुल्क एवं योगा शुल्क का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 07 **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय परिसर में "सेन्टर फॉर हाईटेक एग्रीकल्चरल सर्विसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन सेन्ट्रल इंडिया" की स्थापना पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय परिसर में "सेन्टर फॉर हाईटेक एग्रीकल्चरल सर्विसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन सेन्ट्रल इंडिया" की स्थापना संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01 **विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर स्तर के शैक्षणिक कार्यक्रमों में सीयूईटी 2022 के माध्यम से होने वाले प्रवेश प्रक्रिया पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि स्नातकोत्तर स्तर के शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑफ लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया का पालन किया जाय एवं प्रस्तावित तिथियों का अनुमोदन किया जाय।

04/11/2022

अ.अ.वि.क्र.02 **स्नातक स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रस्तावित ऑफ लाईन काउंसिलिंग के लिए स्थल निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि स्नातक स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रस्तावित ऑफ लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रस्तावित स्थलों पर दिनांक 10.11. 2022 एवं 11.11.2022 को सम्पन्न करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.03 **पीएमएसएसएस योजना के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के छात्रावास सुविधा संबंधी प्रावधानों पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि एटीकेटी (ATKT) प्राप्त विद्यार्थियों को भी अन्य विद्यार्थियों के समान छात्रावासों में निवासरत् रहने दिया जाय तथा किसी भी माध्यम से प्रवेशित विद्यार्थियों को एटीकेटी आने पर छात्रावास छोड़ने के लिए न कहा जाय।

इस हेतु छात्रावास के दिशा–निर्देशों में यथा उचित संशोधन कर लिया जाय।

यह निर्णय तत्काल रूप से प्रभावशील होगा।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पीएमएसएसएस योजना के अंतर्गत छात्रावासों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के दौरान ही आवश्यक छात्रावास शुल्क जमा करना होगा।

अ.अ.वि.क्र.04 विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा किये जा रहे शोध कार्यों, पेटेंट एवं प्रोजेक्ट निष्पादनों से प्राप्त परिणामों/प्रकाशनों के संबंध में जानकारी विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने तथा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी जानकारियों का विश्वविद्यालय के प्रत्यायन एवं रैंकिंग सुधार में उपयोग किये जाने के नीति प्रारूपण हेतु समिति गठित की जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगे।

अ.अ.वि.क्र.05 विश्वविद्यालय में शिक्षकों द्वारा विभिन्न फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त प्रोजेक्ट एवं प्रोजेक्ट मद से क्रय किये गये उपकरणों/पुस्तकों का संबंधित विभागों/विश्वविद्यालय को उचित हस्तगत होने संबंधी जानकारी एकत्र किये जाने हेतु समिति गठित की जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

04/11/22	04/11/2022
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव	**कुलपति/अध्यक्ष**